रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 677] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 2, 2015/कार्तिक 11, 1937
No. 677] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 2, 2015/KARTIKA 11, 1937

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 2015

सा.का.नि. 829(अ).—केंद्रीय सरकार, राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 (2003 का 39) (इसमें इसके पश्चात इसे "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध नियम, 2004 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (दूसरा संशोधन) नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध नियम, 2004 (इसमें इसके पश्चात इसे "नियम" कहा गया है) में, नियम 7 के पश्चात, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

8. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अनुपालन का पुनर्विलोकन - (1) भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक अधिनियम के उपबंधों और केंद्रीय सरकार द्वारा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुपालन का वार्षिक पुनर्विलोकन वित्त वर्ष 2014-15 से करेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन किए जाने वाले पुनर्विलोकन में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात्:

(i) अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों, मध्यमकालिक राजवित्तीय नीति विवरण, राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण, वृहद-आर्थिक रूपरेखा विवरण और मध्यमकालिक व्यय रूपरेखा विवरण में नियत लक्ष्यों की प्राप्ति और अनुपालन तथा पूर्विकताओं का विश्लेषण;

(ii) अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के संबंध में प्राप्तियों, व्यय और वृहद-आर्थिक मानकों में प्रवृत्तियों का विश्लेषण;

(iii) अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों में नियत लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रभाव वाले राजस्व, व्यय, आस्तियों या देयताओं के वर्गीकरण से संबंधित टिप्पणियां; और

(iv) केंद्रीय सरकार द्वारा अपने राजवित्तीय कार्यों में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उसके द्वारा किए गए प्रकटीकरणों का विश्लेषण।

(3) उपनियम (1) के अधीन पुनर्विलोकन करने के प्रयोजन के लिए, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को यह प्राधिकार होगा कि:

(क) वह रिपोर्ट तैयार करने के लिए ऐसा अभिलेख अथवा सूचना मंगाना जैसा वह अपेक्षित समझे; और

(ख) वह पुनर्विलोकन से संबंधित या उसके मूल भाग के रूप में अन्यथा किसी अन्य प्रकार से सुसंगत अपेक्षित लेखाओं, बहियों, कागज-पत्र और अन्य प्रलेखों को मंगाकर किसी ऐसे स्थान पर भेजेगा जो वह निरीक्षण के लिए नियत करे।

(4) किसी ऐसे कार्यालय अथवा विभाग, जिसके लेखाओं का निरीक्षण और पुनर्विलोकन नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा किया जाना है, का भारसाधक अधिकारी ऐसे निरीक्षण के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा और ऐसे अभिलेखों अथवा सूचना के लिए अनुरोधों का यथासंभव शीघ्रता के साथ और पूर्ण रूप से अनुपालन करेगा।

(5) उपनियम (1) के अधीन किए गए पुनर्विलोकन के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाएगी, जो उसे संसद के दोनों पटलों पर रखवाएगा।

[फा. सं. 3/31/2014-एफआरबीएम]

प्रशांत गोयल, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में तारीख 2 जुलाई, 2004 को संख्या सा.का.नि. 396 (अ) तारीख, 2 जुलाई, 2004 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार संख्या सा.का.नि. 523 (अ) तारीख 25 जून, 2015 द्वारा संशोधित किए गए थे।

IndiaCode

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st October, 2015

G.S.R. 829(E).—In exercise of the powers conferred by section 8 of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003 (39 of 2003) (hereinafter referred to as the "Act"), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Fiscal Responsibility and Budget Management Rules, 2004, namely:—

1. *(1)* These rules may be called the Fiscal Responsibility and Budget Management (Second Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Fiscal Responsibility and Budget Management Rules, 2004 (hereinafter referred to as the "Rules"), after rule 7, the following rule shall be inserted, namely:-

8. Review of compliance by the Comptroller and Auditor General of India--(1) The Comptroller and Auditor General of India shall carry out an annual review of the compliance of the provisions of the Act and the rules made thereunder by the Central Government beginning with the financial year 2014-15.

(2) The review under sub-rule (1) shall include the following, namely:—

(i) Analysis of achievement and compliance of targets and priorities set out in the Act and the rules made thereunder, Medium Term Fiscal Policy Statement, Fiscal Policy Strategy Statement, Macro-economic Framework Statement and Medium-term Expenditure Framework Statement;

(ii) analysis of trends in receipts, expenditure and macro-economic parameters in relation to the Act and the rules made thereunder;

(iii) comments related to classification of revenue, expenditure, assets or liabilities having a bearing on the achievement of targets set out in the Act and the rules made thereunder;

(iv) analysis of disclosures made by the Central Government to ensure greater transparency in its fiscal operations.

(3) For the purpose of conduct of the review under sub-rule (1), the Comptroller and Auditor General of India shall have the authority to-

(a) call for such records or information as he may require, for the preparation of the report; and

(b) require that any accounts, books, papers and other documents which deal with or form the basis of, or are otherwise relevant to the review, shall be sent at such place as he may appoint for the inspection.

(4) The officer in charge of any office or department, the accounts of which are to be inspected and reviewed by the Comptroller and Auditor General, shall afford all facilities for such inspection and comply with the requests for such records or information as expeditiously as possible and in a complete form.

(5) The report of the Comptroller and Auditor General of India relating to review under sub-rule (1) shall be submitted to the President, who shall cause them to be laid on the table of both Houses of Parliament.

[F. No. 3/31/2014-FRBM]

PRASHANT GOYAL, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 2nd July,2004 vide number G.S.R. 396 (E), dated 2nd July, 2004 and was last amended vide number G.S.R. 523 (E), dated 25th June,2015.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.